- पारशाथत

क.रा.बी.नि.
ESIC

मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/13/1/2024-रा.भा./सम्मेलन

दिनांक : 04.9.2024

परिपत्र

विषय : क.रा.बी.निगम के 33 वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के कार्यवृत का प्रेषण ।

उप महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16-17 अगस्त, 2024 को एर्णाकुलम (केरल) में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 33वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का कार्यवृत्त सूचना एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

कृपया सम्मेलन के अनुपालनार्थ बिंदुओं तथा इसमें किए गए निर्णयों पर यथापेक्षित शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Signed by Shyam Kumar
Date: 04-09-2024 17:37:38

संलग्नक : यथोपरि

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. महानिदेशक/ वित्त आयुक्त/ सभी बीमा आयुक्त/ सभी चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव।
2. उप महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली – 110001
3. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी.निगम, द्वारका, नई दिल्ली।
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
5. सभी निदेशक/ प्रभारी संयुक्त निदेशक/ प्रभारी उप निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
6. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उत्तर क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, दिल्ली।
7. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), दक्षिण क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नै।
8. उप निदेशक (राजभाषा), उत्तर उप अंचल/पूर्व व पूर्वोत्तर उप अंचल/पश्चिम उप अंचल/दक्षिण उप अंचल, क.रा.बी.निगम।
9. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/ निदेशक (चिकित्सा) नोएडा, क.रा.बी.निगम।
10. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल/ क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
11. सभी संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा/दंत्य/नर्सिंग महाविद्यालय, क.रा.बी.निगम ।
12. सभी अपर आयुक्त/ निदेशक/ संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम।
13. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

04.9.24

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 33वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दो दिवसीय 33वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 16-17 अगस्त 2024 को एर्णाकुलम, केरल में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री नागेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने की। सम्मेलन में डॉ. अच्युतानन्द मिश्र, सहायक आचार्य, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालडी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंचासीन श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त के मार्गदर्शन में संपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनके अतिरिक्त, श्री प्रशांत डी. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम भी मंचासीन थे। सम्मेलन में क.रा.बी.निगम के विभिन्न कार्यालयों एवं अस्पतालों के राजभाषा अधिकारी/ राजभाषा प्रभारी अधिकारियों और अनुवाद अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक "क"** पर दी गई है।

श्री प्रशांत डी., उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस 02 दिवसीय सम्मेलन में सभी मनोयोग के साथ अपने अभीष्ट को प्राप्त करें साथ ही सुंदर कोच्चि शहर के सांस्कृतिक वैविध्य का साक्षात्कार करें। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय हिन्दी में लक्ष्यानुसार कार्य कर रहा है।

श्री श्याम कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने सम्मेलन में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह निगम का 33वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है। यह सम्मेलन राजभाषा कार्यान्वयन को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने, राजभाषा उपयोगन एवं राजभाषा मॉड्यूल पर विशेष सत्र, पत्रिका एवं कार्यान्वयन के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार, राजभाषा की चुनौतियों, ई-ऑफिस और हिंदी, मासिक प्रगति रिपोर्ट का नया प्रपत्र, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सोशल मीडिया प्लेटफार्म में हिंदी पर खुली चर्चा पर केन्द्रित होगा।

प्रारम्भ में सभी प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने उपस्थित राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों एवं प्रभारियों का उत्साहवर्धन करते हुए बीमा आयुक्त महोदय का उनके निर्देशन में हुए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया जिसमें नव-पद सृजन, विभिन्न बैठकों/ आयोजनों के लिए खर्च राशि में वृद्धि, हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन राशि में वृद्धि/ कार्यशाला आयोजन राशि में वृद्धि, जिन इकाइयों में राजभाषा संवर्ग के कार्मिक तैनात नहीं है, वहां लिंक के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन सुदृढ़ करना इत्यादि सम्मिलित हैं। इन कार्यों के लिए उन्होंने बीमा आयुक्त महोदय का विशेष आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन की शुरुआत पंचदीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से की गई। श्रीमती सीबा अनिल कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम ने देशभर से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं कोच्चि के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचय कराया।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने उप महानिदेशक एवं मुख्य अतिथि का स्वागत किया। बीमा आयुक्त महोदय ने राजभाषा अधिकारियों की एकजुटता की प्रशंसा की। उन्होंने सम्मेलन के अध्यक्ष श्री नागेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का सम्मेलन में प्रतिभागिता के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि मंत्रालय के माननीय प्रतिनिधि का इस सम्मेलन में होना, मंत्रालय के शामिल होने का गौरव प्रदान करता है क्योंकि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महोदय की यह अपेक्षा रहती है कि बीमाकृत व्यक्तियों को संवैधानिक तरीके से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं आसानी से मिल सकें इसके लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है और निगम में राजभाषा हिन्दी का समुचित कार्यान्वयन इसलिए और भी अपरिहार्य हो जाता है। उन्होंने अपील की कि सार्वजनिक स्थलों के अलावा भी ई-फाइल, आंतरिक पत्राचार और दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में ही निपटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही बैठकों,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चर्चाओं और कार्यालय के विभिन्न आयोजनों में संप्रेषण हिन्दी में ही हो ताकि क.रा.बी.योजना से जुड़े निम्न आय वर्ग को हमारी योजनाओं का लाभ मिल सके तथा राजभाषा विभाग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

बीमा आयुक्त महोदय ने अपील की कि कार्यालय के भवन से हटकर निगम के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार, आउटरीच कार्यक्रमों, सोशल प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने निगम के सोशल मीडिया आई.टी. की जानकारी दी और बताया कि इससे हमारे स्टेकहोल्डर्स को भी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेंगी और वे हमारे आईटी टूल्स का प्रयोग करेंगे। इस उद्देश्य के लिए पंचदीप मॉड्यूल को भी अपग्रेड किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि हमें अपने भावी उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विशलिस्ट बनानी होगी। उन्होंने निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाले सामग्री द्विभाषी रूप में रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक-दूसरे से अपने सुझाव, अपने अनुभव साझा करें। हमें सामान्य वर्ग के लोगों को हिंदी में प्रोत्साहित कर उनसे हिंदी में काम कराना है। उन्होंने बीमाकृत व्यक्तियों के साथ पत्राचार हिंदी में करने और आई.टी टूल्स में हिंदी की कमी को दूर करने के संबंध में कहा कि इसे हम आम लोगों तक पहुंचाएँ। हिंदी को संप्रेषण की भाषा बनाना है इसके लिए अधिकाधिक काम हिंदी में करें।

बीमा आयुक्त महोदय के विचारों को गंभीरतापूर्वक सुना व संज्ञान में लिया गया। इस अवसर पर मंचासीन अधिकारियों द्वारा 'राजभाषा के अनुदेशों का संकलन' का विमोचन किया गया।

इसके बाद वर्ष 2022-2023 के दौरान आकर्षक एवं उत्कृष्ट विभागीय हिंदी गृह पत्रिका प्रकाशन हेतु 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के निम्नलिखित कार्यालयों और अस्पतालों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए :

क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका सम्मान वर्ष 2022-2023

पत्रिका का नाम एवं अंक		**विजेता कार्यालय / अस्पताल का नाम**
	'क' क्षेत्र	
प्रथम	मरूगंगा (अंक-15)	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
द्वितीय	हिमज्योति (अंक-5)	क्षेत्रीय कार्यालय, बद्दी
तृतीय	भोजवाणी (अंक-1)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
	'ख' क्षेत्र	
प्रथम	दीपज्योति (अंक-10)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर
द्वितीय	राजभाषा सरिता सह्याद्रि (अंक-30)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
तृतीय	सतलुज धारा	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
	'ग' क्षेत्र	
प्रथम	उत्कल ज्योति (अंक-12)	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
द्वितीय	राजभाषा अंकुर (अंक-7)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बोम्म्सांद्रा
तृतीय	पुवेरुण (अंक-16)	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा नीति का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन करने वाले 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के निम्नलिखित कार्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई :

राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता परिणाम वर्ष 2022-2023

विजेता कार्यालय / अस्पताल का नाम		
'क' क्षेत्र	प्रथम	उप क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी
'ख' क्षेत्र	प्रथम	उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत
'ग' क्षेत्र	प्रथम	क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

डॉ अच्युतानन्द मिश्र, मुख्य अतिथि ने कहा कि हिन्दी सेवा से जुड़े हिन्दी अध्यापक वर्ग और हिन्दी अधिकारी के बीच एक सहोदर का भाव है। भाषा के विकास में राजभाषा सम्मेलन जैसे आयोजन सराहनीय प्रयास है। भाषा ही मनुष्य को पशु से अलग करती है परंतु मनुष्य उस भाषा को और भी अलग-अलग तरीके से रूपांतरित कर सकता है। अनुवाद भी सृजनशीलता का उदाहरण है। सृजनात्मकता मनुष्य का अनोखा गुण है। भाषा से भावों का उत्खनन कर सकते हैं। हिन्दी की व्यापकता इसमें सहायक बनती है। भाषा के संदर्भ में यह आवश्यक है कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को शामिल किया जाए। हिन्दी में समावेशिकता का गुण है इसीलिए राजभाषा अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है वे हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं से जुड़ें। हिन्दी का विकास अन्य भाषाओं के सामंजस्य तथा भारतीय चेतना द्वारा ही संभव है।

श्री नागेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा अध्यक्ष महोदय ने प्रथम बार सम्मेलन में प्रतिभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निगम कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्रवार विश्लेषण के आधार पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने प्रासंगिक उदाहरणों के माध्यम से भाषा की सहजता पर चर्चा की। उन्होंने अपील की कि भाषा का दिखावा या आडंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि भाषा व्यवहार के लिए है इसीलिए जो भाषा जितनी सरल होगी उतनी ही व्यवहार में होगी। हम अपना मूल कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें। हिंदी पत्राचार बढ़ाएं। इससे हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

श्री श्याम कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने कहा कि उप महानिदेशक महोदय अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच राजभाषा सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं, यह उनकी राजभाषा के प्रति रुचि का परिचायक है। सम्मेलन में 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों से प्रतिभागी आए हैं उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और समाधान पर चर्चा की जाएगी।

तत्पश्चात, 32वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अवगत कराया गया।

32वें राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई

1	क.रा.बी.निगम के कार्यालयों/ अस्पतालों का किस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अर्थात उपक्रम या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की श्रेणी वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पंजीकरण कराया जाए। **कार्रवाई-** मुख्यालय के पत्र द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गदर्शन दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया था। पत्र के प्रत्युत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 12.6.2023 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है जिसकी प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ भेजी गई है।

2	जब तक राजभाषा संवर्ग के सभी पद नहीं भर जाते हैं तब तक राजभाषा संवर्ग के कार्मिकों को अस्थायी तौर पर राजभाषा कार्यान्वयन का ही अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। **कार्रवाई-** राजभाषा संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए वर्तमान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के 76 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक देशभर में तैनात कनिष्ठ व वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के साथ-साथ सहायक निदेशकों/ उप निदेशकों तथा संयुक्त निदेशकों को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
3	विभागीय पदोन्नति समिति के लिए कैलेण्डर बनवाया जाए तथा राजभाषा कार्मिकों की तदर्थ पदोन्नतियों के विषय में प्रशासन शाखा से चर्चा की जाए। **कार्रवाई-** मुख्यालय के विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ को पत्र द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति का कैलेंडर तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है। **उत्तर की प्रतीक्षा है।** **इस संबंध में 'विभागीय पदोन्नति समिति' को दिनांक 07.08.2024 को अनुस्मारक भी भेजा गया है।**
4	क.रा.बी.निगम का नया मॉड्यूल बनाते समय द्विभाषी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इसकी समिति में मुख्यालय में तैनात राजभाषा संवर्ग के अधिकारी को भी शामिल किया जाए। **कार्रवाई-** मुख्यालय के 'सूचना प्रौद्योगिकी शाखा' को अनौपचारिक टिप्पणी जारी की गई थी। इस संबंध में उत्तर प्राप्त हुआ और मामला प्रक्रियाधीन है।
5	इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लैपटॉप नीति पर विचार करते समय विचार किया जाए। अनुवाद अधिकारी (कनिष्ठ/वरिष्ठ) को मोबाइल फोन की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर दिया जाए। राजभाषा अधिकारियों को लैपटॉप की सुविधा मुख्यालय द्वारा अपनाई गई लैपटॉप नीति के अनुसार प्रदान करने का प्रयास किया जाए। **कार्रवाई-** मुख्यालय की 'सामान्य शाखा' को अनौपचारिक टिप्पणी जारी की गई है। **उत्तर की प्रतीक्षा है। इस संबंध में 'सामान्य शाखा' को दिनांक 07.08.2024 को अनुस्मारक भी भेजा गया है।**
6	हिंदी कार्यशाला के पाठ्यक्रम में परिवर्तन अर्थात नई पाठमाला शीघ्र तैयार की जाए। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) उत्तर व दक्षिण अंचल। **कार्रवाई- उत्तर अंचल से नए पाठ प्राप्त हो गए हैं। दक्षिण अंचल से शीघ्र प्राप्त होने की सूचना मिली है।**
7	संयुक्त निदेशक (राजभाषा) एवं उप निदेशक (राजभाषा) के लिए स्टाफ की व्यवस्था की जाए। **कार्रवाई-** निगम की संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यालय अध्यक्षों से अनुरोध किया गया है।
8	अनुवाद अधिकारियों के व्याख्यान के लिए मानदेय हेतु मुख्यालय से अद्यतन दरों पर मानदेय देने के दिशानिर्देश जारी किए जाएं। **कार्रवाई-** हिंदी कार्यशालाओं के व्याख्याताओं के पारिश्रमिक की दर में वृद्धि की सूचना सभी इकाइयों को भेजी गई है।
9	हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना की राशि में वृद्धि करने हेतु निर्णय लिया जाए। **कार्रवाई-** हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना की पुरस्कार राशि को 600/- रुपये से बढ़ाकर 1200/- रुपये किया गया है।
10	हिंदी दिवस समारोह की राशि में वृद्धि करने हेतु मुख्यालय में विचार किया जाए। **कार्रवाई-** मामला प्रक्रियाधीन है।

11	राजभाषा संवर्ग की छठे वेतन आयोग की विसंगतियों से संबंधित सभी पत्राचार मुख्यालय को दिखाए जाएं। विसंगतियों को दूर करवाने का पुन: पूरा प्रयास किया जाए। **कार्रवाई-** मुख्यालय की स्थापना-1 शाखा को पत्र जारी किया गया है। **उत्तर की प्रतीक्षा है। इस संबंध में 'स्थापना शाखा-3' को दिनांक 07.08.2024 को अनुस्मारक भेजा गया है।**
12	निगम के सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस की जाए। राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में एक वीडियो कांफ्रेंस क्षेत्रीय निदेशकों एवं प्रभारी क्षेत्रीय निदेशकों/ संयुक्त निदेशकों/ उप निदेशकों के साथ भी की जाए। **कार्रवाई-** बीमा आयुक्त महोदय के अनुसार पहले चिन्हित क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय/ अस्पतालों के साथ वीडियों कांफ्रेंस की जाएगी।
13	राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के सहयोग से "कंठस्थ" का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका को अर्धशासकीय पत्र लिखा जाए, साथ ही राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा प्रभारी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। **कार्रवाई-** राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी को सूचनाएं/ जानकारी भेजी गई है। मामला प्रक्रियाधीन है।
14	पुस्तकों की खरीद करते समय हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% राशि अवश्य व्यय की जाए। निगम के सभी कार्यालय/अस्पताल। **कार्रवाई-** क.रा.बी.निगम की सभी इकाइयों को निदेश जारी किए गए है।

चूंकि कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, अत: सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई। बीमा आयुक्त महोदय ने निदेश दिया कि प्रत्येक मद पर ठोस कार्रवाई की जाए।

इसके पश्चात, निगम के विभिन्न कार्यालयों/अस्पतालों से प्राप्त विचारणीय मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई :-

मद सं. 1	**विभिन्न प्रपत्रों का द्विभाषीकरण एवं उनको वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना ।**

सभी कार्यालयों द्वारा समान रूप से प्रयोग हेतु निगम के सभी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों, टेंडर, अनुबंध, रजिस्टर एवं अन्य दैनिक प्रयोग के दस्तावेजों के मानक द्विभाषी रूप और निगम की सभी संदर्भ पुस्तकें, मानक मसौदे, साइक्लोस्टाइल फॉर्म "वर्ड फाइल" और "पीडीएफ" आदि निगम की वेबसाइट पर फाइल में उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा तथापि इन्हें वर्तमान मॉडयूल पर करवाना कठिन होगा।

अवगत कराया गया कि निगम में प्रयुक्त सभी फॉर्म एवं मानक मसौदों का द्विभाषीकरण किया जाएगा ताकि एकरूपता बनी रहे।

मद सं. 2	**वसूली शाखा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सी पी 02 ईआरपी में केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। इसे द्विभाषी किया जाए।**

अवगत कराया गया कि तकनीकी कारणों से यह अभी संभव नहीं है नया मॉडयूल बनाते समय इसका ध्यान रखा जाएगा। तथापि फॉर्मों को वेबसाइट पर एक साथ अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा।

मद सं. 3	**मासिक प्रगति रिपोर्ट**

मासिक प्रगति रिपोर्ट का नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है तथा अनुमोदन उपरांत शीघ्र ही जारी किया जाएगा। सम्मेलन के एक सत्र में श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), दक्षिण अंचल द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रारूप का नया नमूना भी प्रदर्शित किया गया।

बीमा आयुक्त:- यह सराहनीय प्रयास है तथा मुख्यालय में चर्चा कर इसे जारी करने पर विचार किया जाएगा।

मद सं. 4	**भर्ती/पद सृजन/पदोन्नति तथा संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन स्कीम (एमएसीपी) प्रदान किया जाना।**

निगम के राजभाषा संवर्ग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद वर्तमान में 50% पदोन्नति द्वारा एवं 50% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का मानदंड निर्धारित है, जबकि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' एवं 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 (जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों पर लागू है) के अनुसार 75% पदोन्नति द्वारा एवं 25% सीधी भर्ती द्वारा की पद्धति लागू है। इसे क.रा.बी.निगम के राजभाषा कार्मिकों के व्यापक हित में लागू किया जाना चाहिए।

अवगत कराया गया कि यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का मामला है। वर्तमान में इसमें तत्काल परिवर्तन संभव नहीं है, तथापि इस मामले पर प्रशासन शाखा से चर्चा की जाएगी।

संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन स्कीम (एमएसीपी) के विषय पर जानकारी दी गई कि जिन पात्र कार्मिकों के पूर्ण दस्तावेज मुख्यालय में प्राप्त हो चुके थे उनको एमएसीपी प्रदान की जा चुकी है। दस्तावेज/सतर्कता अनापत्ति के कारण कई बार इस मामले में विलंब होता है जिन कार्मिकों को एमएसीपी का लाभ नहीं मिल सका है उनके संबंध में स्थापना शाखा से संपर्क किया जाएगा। यह भी अनुरोध किया गया कि संबंधित कार्मिक भी अपने कार्यालय स्तर पर इस मामले को देखें।

मद सं. 5	**पत्रिका प्रकाशन**

(i) पत्रिका के कम पृष्ठ किए जाने के संबंध में चर्चा की गई कि राजभाषा नियमों के अनुसार पत्रिका में न्यूनतम 40 पृष्ठ होने अनिवार्य हैं, तदनुसार कार्रवाई की जाए।

बीमा आयुक्त:- पत्रिका में साहित्यिक रचनाओं के साथ कार्यालय की समसामयिक गतिविधियां भी शामिल की जाएं ताकि पत्रिका रोचक एवं सूचनाप्रद हो।

(ii) विजेता कार्यालयों को प्रमाणपत्र के साथ शील्ड दी जाए- **इस मामले की समीक्षा की जाएगी।**

(iii) पत्रिका वेबसाइट पर अपलोड की जाए- **बीमा आयुक्त महोदय ने कहा कि वेबसाइट पर सभी कार्यालयों/अस्पतालों के नाम हैं और उनके लिए वेबपेज उपलब्ध है। उस पर पत्रिका अपलोड की जा सकती है।**

पत्रिका की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में बताया गया कि प्रकाशित पत्रिकाओं की सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

(iv) पत्रिका के लेखों के रचनाकारों को वित्तीय पुरस्कार देना- **यह बिंदु विचारणीय नहीं पाया गया।**

मद सं. 6	**टंककों/आशुलिपिकों को मासिक भत्ता राशि में वृद्धि**

टंककों / आशुलिपिकों को दिए जाने वाले मासिक भत्ते की राशि में वृद्धि के संबंध में अवगत कराया कि इसका निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राजभाषा विभाग से जब भी कार्रवाई होगी, उसे निगम में भी स्वीकृत कराया जाएगा।

मद सं. 7	राजभाषा मॉड्यूल/वेबसाईट

यह बताया गया कि तकनीकी कारणों से वर्तमान मॉडयूल में परिवर्तन संभव नहीं है तथापि नया मॉड्यूल बनाते समय निगम में ईआरपी में या अलग से एक राजभाषा मॉड्यूल (जैसा बैंको में है) विकसित किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी तथा वर्तमान में "ईआरपी" सहित सभी "मॉड्यूल" द्विभाषी सुविधा सहित किए जाने पर कार्य किया जाएगा। बीमा आयुक्त महोदय ने इसी के साथ मॉड्यूल 2.0 पर प्रकाश डाला।

मद सं. 8	ई-ऑफिस में हिंदी में कार्य- रिसीप्ट और ड्राफ्ट में भाषा के बहुविकल्प, हिंदी में हस्ताक्षर आदि।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। अवगत कराया गया कि इस विषय पर एन.आई.सी, मुख्यालय की सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग से संपर्क कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

मद सं. 9	ई.आर.पी. डेटाबेस में हिंदी ज्ञान संबंधी विवरण तथा डेटाबेस की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होना।

इस संबंध में चर्चा-परिचर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि मुख्यालय में मॉड्यूल कमेटी से चर्चा की जाएगी ।

मद सं. 10	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/ अनुवाद अधिकारियों हेतु कार्यशाला की अनुमति उप अंचल के उप निदेशक को दी जाए।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने अवगत कराया कि अनुवाद अधिकारियों के विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण को राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा प्रस्तावित कंठस्थ प्रशिक्षण के साथ जोड़ दिया जाएगा और अंचल के अनुवाद अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति उप अंचल के उप निदेशक (रा.भा) को प्रदान करने के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के साथ बैठक कर किया जाएगा।

मद सं. 11	राजभाषा पखवाड़ा समापन दिवस की राशि वृद्धि के संबंध में।

मामले में मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई जारी है ।

मद सं. 12	राजभाषा शाखा में सहायक स्टाफ की तैनाती।

अवगत कराया गया कि राजभाषा शाखा द्वारा अपेक्षित स्टाफ की तैनाती के संबंध में पूर्व में निदेश दिया गया है तथापि स्थापना शाखा से भी इस विषय पर निदेश जारी करने का अनुरोध किया जाएगा।

मद सं. 13	मानक शब्दावली तैयार करना

निगम की मानक शब्दावली के निर्माण के संबंध में बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने विधि एवं अन्य शब्दावलियों के मुख्यालय स्तर से प्रापण एवं क्षेत्रीय इकाइयों को वितरण के संबंध में अवगत कराया कि मुख्यालय स्तर से देशभर में वितरण संभव नहीं है, उक्त शब्दावली ऑनलाइन उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार प्रयोग की जा सकती है। इसे क्षेत्रीय इकाइयां स्वयं खरीदें। साथ ही राजभाषा शाखा द्वारा विधि शाखा को इस विषय पर विधि मंत्रालय के साथ पत्राचार किए जाने हेतु अनौपचारिक टिप्पणी भेजी जाए। इसके अतिरिक्त, उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल इन्हें उप

अंचल के स्तर पर खरीदकर अपने संबंधित कार्यालय/अस्पताल के निरीक्षण के दौरान इसे वितरित कर सकते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को पत्र भी भेजा जाए, साथ ही क्षेत्रीय इकाइयों के लिए भी अपेक्षित निदेश जारी किए जाएं।

मद सं. 14	कार्यालय संदर्भ साहित्य

इस विषय पर बीमा आयुक्त महोदय ने निदेश दिए कि पुस्तकों की खरीद के संबंध में निर्णय कार्यालय स्तर पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के दौरान लिया जा सकता है।

मद सं. 15	अनुवाद अधिकारियों को लैपटॉप सुविधा तथा मोबाईल खर्च प्रतिपूर्ति

मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई जारी है। मोबाईल खर्च प्रतिपूर्ति पर अवगत कराया गया कि मोबाइल प्रतिपूर्ति के संबंध में एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वाद के समाप्त होने पर ही तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मद सं. 16	हिंदी टंकण प्रशिक्षण

हिंदी टंकण प्रशिक्षण के संबंध में अनेक समस्याएं सुनने और परस्पर विचार विमर्श के पश्चात् अवगत कराया गया कि उक्त प्रशिक्षण पत्राचार/निजी माध्यम से भी उपलब्ध है तथा कार्मिकों को इन माध्यमों से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

मद सं. 17	कार्मिकों की भर्ती के समय पात्रता के रूप में हिंदी टंकण ज्ञान की अनिवार्यता

नीतिगत मामला होने के कारण मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। भर्ती उपरांत राजभाषा विभाग से प्रशिक्षण दिलवाया जाना तो अनिवार्य है ही।

मद सं. 18	राजभाषा-पखवाड़ा प्रतियोगिताएं - पुरस्कार राशि का युक्तिसंगत प्रयोग, हिंदी भाषा वर्ग में किसी एक प्रतियोगिता में ही पुरस्कार दिया जाना

बीमा आयुक्त:- देशभर में स्थित कार्यालयों/अस्पतालों में कार्मिकों की संख्या भिन्न है साथ ही हिंदी और हिंदीतर कार्मिकों की संख्या भी भिन्न है तथा इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों की संख्या सीमित किए जाने और प्रतियोगिताओं की संख्या आदि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

मद सं. 19	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की भर्ती के शीघ्र पश्चात प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना

यह बताया गया कि आगामी भर्ती होने वाले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की भर्ती के पश्चात् प्रवेश प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि वे राजभाषा नीति तथा उसके कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त कर सकें।

मद सं. 20	"राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधी निदेश" उपलब्ध कराया जाना

राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधी निदेशों का संकलन राजभाषा सम्मेलन के दौरान वितरित कर दिया गया है और इसे वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

मद सं. 21	राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता: मूल्यांकन शीट उपलब्ध कराना

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का मूल्यांकन एक आंतरिक मामला है। विधिवत् गठित की गई समिति के अधिकारी परिणाम तैयार करते हैं। अतः मूल्यांकन शीट का प्रदर्शन संभव नहीं है तथापि परिणाम के समय सभी कार्यालयों के प्राप्त अंक उनको बताए जाते हैं।

मद सं. 22	राजभाषा सम्मेलन में प्रतिभागिता

जिस कार्यालय में प्रभारी राजभाषा अधिकारी एवं अनुवाद अधिकारी दोनों की तैनाती है, वहां से दोनों अधिकारियों को राजभाषा सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए।

बीमा आयुक्तः- मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एक कार्यालय/अस्पताल से केवल एक ही कार्मिक प्रतिभागिता कर सकता है। साथ ही अनुवाद अधिकारियों को राजभाषा प्रभारी बनाने के विषय पर मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

मद सं. 23	क.रा.बी.निगम वेबसाइट पर राजभाषा से संबंधित विभिन्न जानकारियां देना।

(i) वेबसाइट पर उपलब्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों व अस्पतालों की सूची व पते हिंदी में कराने हेतु संबंधित शाखा से संपर्क किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रवार (क,ख, ग) अधिसूचित इकाइयों की सूची 'राजभाषा आदेशों का संकलन' मे दी गई है जबकि विनिर्दिष्ट शाखाओं की सूची वेबसाइट पर अपलोड करवाना संभव नहीं है क्योंकि शाखाओं की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। सुलभ संदर्भ हेतु विभिन्न निविदाओं तथा हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, सुपर स्पेशलिटी टाइ-अप आदि के मानक अनुवाद मुख्यालय की वेबसाइट पर समय-समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) निगम की वेबसाइट का पेज पहले हिंदी में खुलना -

बीमा आयुक्तः- इस संबंध में विचार किया जाएगा। भारत सरकार की कम से कम दस ऐसी वेबसाइट देखी जाए जिनमें वेबपेज हिंदी में खुलता है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जा सके।

मद सं. 24	विविध मामले

(i) वेबसाइट

यह जानकारी दी गई कि निगम की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य भाषा में भी उपलब्ध हो सकती है, इसे क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अधिकाधिक द्विभाषी बनाया जा सकता है।

(ii) **कार्यालय प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग**

बीमा आयुक्त ने निदेश दिए कि प्रारंभ में उन दस कार्यालयों/अस्पतालों को शामिल कर वीडियो कांफ्रेंस की जाए जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने इसमें दो-तीन उन कार्यालयों/अस्पतालों को भी शामिल करने के लिए कहा जहां अनुवाद अधिकारी न होने के बावजूद भी राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति सुदृढ़ है।

नया मॉड्यूल बनाए जाने पर बीमा आयुक्त महोदय ने विस्तार से बताया तथा मॉड्यूल आदि पर चर्चा सत्र में संबंधित एजेंसी को ऑनलाइन जोड़ा गया जिससे वे आवश्यकताओं को समझ सकें।

समीक्षा

अगले चरण में बीमा आयुक्त महोदय के समक्ष देशभर की निगम इकाइयों से प्राप्त पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के आधार पर समीक्षा की गई। इस दौरान प्रस्तुत आंकड़ों में पाई गई कमियों से संबंधित इकाइयों को अवगत कराया गया। उन्हें तिमाही बैठकें, कार्यशाला, नियमित रूप से करने, तिमाही रिपोर्टें निर्धारित समय के अंदर प्रेषित करने के निदेश दिए गए। बीमा आयुक्त महोदय ने जिन इकाइयों विशेषकर 'ग' क्षेत्र

ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके कार्य की सराहना की। कुछ इकाइयों से सम्मेलन में किसी की भी सहभागिता नहीं रही है। बीमा आयुक्त महोदय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कारण पूछने का निदेश दिया।

अगले सत्र में श्री प्रणव कुमार, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा ने 'ई.एस.आई.सी. के सोशल मीडिया प्लेटफार्म जागरूकता और सशक्तीकरण का माध्यम' के अपने व्याख्यान के दौरान कहा कि हिंदी भाषा का एकीकरण एवं संवर्धन क.रा.बी.निगम की वेबसाइट www.esic.gov.in की पहुंच को व्यापक बनाएगा और अधिक व्यक्तियों को निगम की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। इन सुधारों को लागू करने से सभी ईएसआईसी प्लेटफॉर्मों पर हिंदी बोलने एवं समझने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता अनुभव और समावेशिता में काफी सुधार होगा।

बीमा आयुक्त (राजभाषा) महोदय ने ईएसआईसी के सोशल मीडिया हैन्डल्स जो कि निगम का सशक्त माध्यम हैं उसमें हिंदी में भी पोस्ट करने के निदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे अधिकाधिक बीमाकृत व्यक्तियों तक पहुंच बढ़ेगी और वे निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को बेहतर समझ सकेंगे।

श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), दक्षिण उप अंचल ने 'ई-ऑफिस और हिंदी' पर व्याख्यान दिया। उन्होंने फाइलें खोलने, डाक डायरी, एड्रैस बुक, अनुवाद, क्विक नोटिंग आदि पर चर्चा की। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से 'मासिक प्रगति रिपोर्ट का नया प्रपत्र' पर विस्तृत व्याख्यान दिया। बीमा आयुक्त महोदय ने इसकी सराहना की ओर कहा कि इस प्रपत्र को समीक्षा के पश्चात् अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित करने पर विचार किया जाएगा ।

श्री श्याम सुंदर कथूरिया, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), दक्षिण अंचल तथा पश्चिम (अतिरिक्त प्रभार) क्षेत्र ने उनके क्षेत्र से संबंधित कार्यालयों के लिए सुझाव दिए और समस्याओं, निरीक्षणों आदि पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि दक्षिण में स्थित कार्यालयों में हिंदी कार्यशाला, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सभी से अनुरोध किया कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय प्रश्नावली भरने का आधार राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली तिमाही रिपोर्ट है। तिमाही रिपोर्ट संवेदनशीलता के साथ भरने को कहा। सामान्य संवर्ग के अधिकारियों को शाखा कार्यालय के निरीक्षण करते समय राजभाषा के बिंदु को भी प्रपत्र में शामिल करने को कहा। उन्होंने www.shabd.education.gov.in डिजिटल शब्दावली का प्रयोग करने की सलाह दी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय अध्यक्ष की उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में भी बताया।

श्री सूर्य प्रकाश, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पूर्व तथा पूर्वोत्तर (अतिरिक्त प्रभार) अंचल ने उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/ अस्पतालों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कई कार्यालयों में अनुवाद अधिकारी न होने के बावजूद हिन्दी में अच्छा कार्य किए जाने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में हिंदी की स्थिति और सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने हिंदी रोस्टर अद्यतन करने संबंधित कार्यालयों/ अस्पतालों द्वारा मासिक/ तिमाही रिपोर्ट समय पर भेजने, हिन्दी कार्यशाला तथा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हर तिमाही में करने, पात्र कार्मिकों को भाषा/ टंकण/ आशुलिपिक प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दिलवाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यालय की अपेक्षाएं

- कई इकाइयां विभिन्न विषयक रिपोर्ट एक साथ एक ही अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न करके ई-मेल द्वारा प्रेषित करती हैं। विषयवार रिपोर्ट अलग-अलग अग्रेषण पत्र के साथ भेजी जाए।
- कई इकाइयां एक ही रिपोर्ट के पृष्ठ अलग-अलग स्कैन करके ई-मेल द्वारा प्रेषित करती हैं। किसी भी रिपोर्ट के सभी पृष्ठों को एक साथ स्कैन करके प्रेषित करें।

- कुछ इकाइयां किसी भी पत्र अथवा रिपोर्ट को कई माध्यमों यथा डाक द्वारा, ई-मेल एवं ई-ऑफिस के माध्यम से एकाधिक प्राप्तकर्ताओं (मल्टिपल रिसिपिएन्ट) को प्रेषित करती हैं, जिससे एक ही पत्र कई बार प्राप्त हो रहा है। अत: पत्र का प्रेषण केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए।

बीमा आयुक्त महोदय द्वारा 33वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय (कार्रवाई - मुख्यालय स्तर पर अपेक्षित)

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट का नया प्रारूप मुख्यालय में चर्चा कर शीघ्र ही जारी किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा।
2. राजभाषा संवर्ग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पदोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के मामले पर प्रशासन शाखा से विस्तृत चर्चा की जाए। राजभाषा कार्मिकों की संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन स्कीम (एमएसीपी) के विषय में भी प्रशासन शाखा से चर्चा की जाए।
3. वर्तमान में प्रकाशित पत्रिकाओं की सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।
4. क.रा.बी.निगम का नया मॉड्यूल बनाते समय द्विभाषी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. हिंदी कार्यशाला के पाठ्यक्रम में परिवर्तन अर्थात नई पाठमाला शीघ्र तैयार की जाए। - संयुक्त निदेशक (राजभाषा) दक्षिण अंचल
6. संयुक्त निदेशक (राजभाषा) एवं उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल के लिए स्टाफ की व्यवस्था की जाए।
7. टंककों/आशुलिपिकों को दिए जाने वाले मासिक भत्ते की राशि में वृद्धि के संबंध में राजभाषा विभाग से पत्राचार किया जाए।
8. निगम के सभी अस्पतालों के क्षेत्रीय निदेशकों एवं प्रभारी क्षेत्रीय निदेशकों/ संयुक्त निदेशकों/ उप निदेशकों/ चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस की जाए। प्रारंभ में, उन दस कार्यालयों/अस्पतालों को शामिल कर वीडियो कांफ्रेंस की जाए जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसमें दो-तीन उन कार्यालयों/अस्पतालों को भी शामिल करने के लिए कहा जहां अनुवाद अधिकारी न होने के बावजूद भी राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति सुदृढ़ है।
9. अनुवाद अधिकारियों के विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण को राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा प्रस्तावित "कंठस्थ" प्रशिक्षण के साथ जोड़ने से संबंधित कार्रवाई और अंचल के अनुवाद अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति उप अंचल के उप निदेशक (रा.भा) को प्रदान करने के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी के साथ बैठक कर किया जाएगा।
10. राजभाषा अधिकारियों को लैपटॉप की सुविधा मुख्यालय द्वारा अपनाई गई लैपटॉप नीति के अनुसार प्रदान करने का प्रयास किया जाए।
11. कुछ इकाइयों से सम्मेलन में किसी की भी सहभागिता नहीं रही है। उन इकाइयों से कारण पूछा जाए।
12. राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को अधिकतम दो श्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाने और प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
13. वेबपेज पहले हिंदी में खुले इसके लिए भारत सरकार के ऐसे 10 कार्यालयों के वेबपेज देखे जाएं जहां पहले वेबपेज हिंदी में खुलता है।
14. निगम के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार, आउटरीच कार्यक्रमों, सोशल प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने के लिए कार्य किया जाए।

15. कार्यालयों/अस्पतालों आदि में प्रयोग होने वाले नामपट्टों, साइनबोर्डों इत्यादि की मानक शब्दावली को निगम द्वारा बनाई जा रही शब्दावली में शामिल किया जाएगा।

33वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय

(कार्रवाई - निगम के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों/ अस्पतालों/ राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी स्तर पर अपेक्षित)

1. पुस्तकों की खरीद करते समय हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% राशि अवश्य व्यय की जाए।
2. जहां नियमित टंकण/भाषा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां प्रशिक्षण पत्राचार/निजी माध्यम से प्रदान कराया जाए।
3. अनुवाद में एकरूपता के लिए समान शब्दावली का उपयोग करें।
4. जिन इकाइयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए और प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाए।
5. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यवृत्त में तिमाही के आंकड़ों का उल्लेख अवश्य किया जाए और कार्यवृत्त मुख्यालय की राजभाषा शाखा को प्रेषित किए जाएं।
6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कार्यालय प्रमुख द्वारा भाग लिया जाए तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता लें।
7. प्रत्येक तिमाही की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को ऑनलाइन भेजें तथा इसका प्रिंट समय पर मुख्यालय भेजें।
8. क.रा.बी. निगम में प्रचलित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यालय के कार्मिकों के बीच प्रचार-प्रसार करें और निर्धारित/निश्चित समय के भीतर कार्रवाई कर पात्र कार्मिकों को पुरस्कृत किया जाए।
9. मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट/विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों की मुख्यालय द्वारा की गई समीक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से समयानुसार मुख्यालय भेजें।
10. विभिन्न विषयक रिपोर्ट एक साथ एक ही अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न करके ईमेल द्वारा प्रेषित न की जाए। विषयवार रिपोर्ट अलग-अलग अग्रेषण पत्र के साथ भेजी जाए।
11. एक ही रिपोर्ट के पृष्ठ अलग- अलग स्कैन करके ईमेल द्वारा प्रेषित न किया जाए। रिपोर्ट के सभी पृष्ठों को एक साथ स्कैन करके एक पीडीएफ बनाकर प्रेषित किया जाए।
12. किसी भी पत्र अथवा रिपोर्ट को कई माध्यमों यथा डाक द्वारा, ई-मेल एवं ई-ऑफिस के माध्यम से एकाधिक प्राप्तकर्ताओं (मल्टिपल रिसिपिएन्ट) को प्रेषित न किया जाए।
13. सम्मेलन के कार्यवृत्त पर कार्रवाई तत्काल/ शीघ्रातिशीघ्र की जाए तथा कार्रवाई रिपोर्ट 6 माह के भीतर मुख्यालय भेजी जाए।
14. सम्मेलन में प्रतिभागिता करने वाले कार्मिक सम्मेलन से लौटने के बाद अपने-अपने कार्यालय-प्रमुखों को सम्मेलन में की गई चर्चा/विचार-विमर्श आदि की संक्षिप्त अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सम्मेलन के समापन सत्र में श्री प्रशांत डी., उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम ने उप महानिदेशक महोदय द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता करने पर आभार व्यक्त किया और मार्गदर्शन और दिशानिर्देश दिए जाने के लिए बीमा आयुक्त (राजभाषा) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सम्मेलन

के सफल आयोजन के लिए अपने स्टाफ और सम्मेलन की व्यवस्था से जुड़े समस्त कार्मिकों का भी आभार व्यक्त किया।

उप महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क.रा.बी.निगम के द्वारा राजभाषा सम्मेलन आयेाजित कराने के प्रयास की सराहना की और पाया कि इससे राजभाषा कार्यान्वयन में वृद्धि भी होगी और संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय त्रुटि भी नहीं होगी ।

बीमा आयुक्त ने उप महानिदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का सम्मेलन में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी प्रतिभागियों को दो दिन सम्मेलन में सहभागिता करने के लिए धन्यवाद किया एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मेलन के दोनों दिन जो भी चर्चाएं हुई, सभी के साथ साझा की जाएगी। उन्होंने सम्मेलन के मुख्य बिंदु यथा समालोचना, समीक्षा और पावर प्वाइंट प्रस्तुति बताए। उन्होंने कहा कि सभी तिमाही रिपोर्टें समय पर भेजें, तिमाही बैठकें समय पर करें, हिंदी पुस्तकों की खरीद नियमानुसार करें क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति के प्रत्येक निरीक्षण में यह सवाल पूछे जाते हैं। सभी प्रतिभागियों से हिंदी का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने और राजभाषा नीति के अनुपालन करने का संकल्प लेने को कहा। सम्मेलन को बीमा आयुक्त महोदय ने सफल सम्मेलन माना और उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम द्वारा की गई व्यवस्था के लिए धन्यवाद किया।

इसी के साथ एर्णाकुलम, केरल में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का समापन हुआ।

*****

अनुलग्नक - क

दिनांक 16-17 अगस्त, 2024 को एर्णाकुलम, केरल में आयोजित 33वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	नाम(श्री./श्रीमती/कु.)	पदनाम	कार्यालय का नाम
1	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक(रा.भा.)	मुख्यालय, नई दिल्ली
2	श्याम सुंदर कथूरिया	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै
3	डॉ.सुमादेवी बी	उप चिकित्सा अधीक्षक	मॉडल एवं अति विशिष्ट अस्पताल,आश्रमम, कोल्लम
4	सूर्यप्रकाश	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
5	त्रिरत्न	उप निदेशक (रा.भा.)	उत्तर उप अंचल, मुख्यालय ,नई दिल्ली
6	प्रणव कुमार	उप निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
7	अपर्णा घोष	सहायक निदेशक (रा.भा.)	मुख्यालय, नई दिल्ली
8	राजेश कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	मुख्यालय, नई दिल्ली
9	जय प्रकाश	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	मुख्यालय, दिल्ली
10	रविन्द्र कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	मुख्यालय, दिल्ली
11	नवीन कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	मुख्यालय, दिल्ली
12	अंकिता बनर्जी	उप निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई
13	राजेश शर्मा	उप निदेशक (रा.भा.)	दक्षिण उप अंचल क्षेत्रीय कार्यालय,चेन्नै
14	मीनू सरदार	उप निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
15	दीपक चौरसिया	उप निदेशक	क रा बी नि अस्पताल, बापूनगर, अहमदाबाद
16	शिवेन्द्र कुमार	उप निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, राँची
17	सुनील कुमार नेगी	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, लुधियाना
18	मुकेश कुमार	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा, पटना
19	ज्योति प्रसाद	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना
20	राजेन्द्र टुडू	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
21	उत्पल सरकार	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, जोका
22	अंकुर सेहरावत	उप निदेशक	निदेशालय (चिकित्सा),दिल्ली
23	विजय कुमार	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नन्द नगरी, दिल्ली
24	चित्तरंजन कुमार दास	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला, दिल्ली
25	टेस्सिमोल जेकब	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड
26	ध्रुव जयंत	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, बाड़ी-ब्राह्मणा, जम्मू
27	आशुतोष गिरि	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
28	संजीव कुमार	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, राउरकेला
29	रणधीर बोंथपुरी	उप निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाना
30	महेश परिख	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, नरोड़ा, अहमदाबद
31	सुभाष चंद्र लाल	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, पीण्या, बेंगलूरु
32	रामबाबु नायक एम	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बोम्मसांद्रा
33	महादेव मीना	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, वड़ोदरा, गुजरात
34	सलील. टी	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, उद्योगमंडल
35	हेमंत कुमार	उप निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा
36	अनिता सुरेश	उप निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
37	अखिल नंबियार	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम
38	संजय कुमार	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, के.के.नगर, चेन्नै
39	देवेन्द्र चौधरी	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, बीकानेर
40	एस. विजयन	उप निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै
41	प्रदीप कुमार पी के	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, गुलबर्गा
42	निरंजन कुमार	उप निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, लखनऊ
43	डॉ. कन्हैया लाल सैनी	बीमा चिकित्सा अधिकारी	क. रा. बी. निगम चिकित्सालय, उदयपुर
44	श्वेता सिन्हा	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क. रा. बी. निगम क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु

45	बृजेश मिश्रा	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद
46	रमेश साव	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर
47	सीबा अनिल कुमार	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम
48	प्रमोद कुमार निराला	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
49	सन्त कुमार पाण्डेय	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद
50	सतीश कुमार	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना
51	सुनील कुमार	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर
52	गीतांजलि अंतिल	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे
53	अभिनव प्रकाश	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल
54	कमल राम प्रजापत	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
55	निरंजन कुमार सामरिया	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
56	अजीत कुमार शर्मा	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
57	मनोज तंवर	सहायक निदेशक (रा.भा.)	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
58	स्वीटी यादव	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम
59	रमिता सिंह	सहायक निदेशक (रा.भा.)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, पीण्या
60	जय सिंह	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली
61	रीता रानी	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल
62	मुकेश चंद मीणा	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, अलवर
63	नीरज कुमार सिंह	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर
64	विनोद कुमार	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, अंकलेश्वर
65	राहुल राज	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, ओखला, दिल्ली
66	रोहित कुमार साहू	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, अंगुल, ओड़िशा
67	सारिका कक्कड़	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, अंधेरी मुंबई
68	गणेश नारायण मीणा	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल कोल्हापुर
69	आलोक कुमार चौधरी	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय,वाराणसी
70	जगमोहन मीणा	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, भिवाड़ी, राजस्थान
71	अशोक कुमार	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश
72	दिनेश निर्वाण	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, फरीदाबाद
73	प्रिय रंजन झा	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, मानेसर
74	समीरन दास	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कलबुर्गी
75	मंजीत सहरावत	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, रोहिणी
76	ऋतु गंभीर	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, वापी, गुजरात
77	अभिषेक कुमार	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, झारसुगुड़ा, ओडिशा
78	अश्वनी कुमार	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल,जाजमऊ,कानपुर
79	राकेश कुमार सिंह	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, बिबवेवाडी, पुणे
80	सुनील कुमार गौतम	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल,बसईदारापुर
81	हरीश कुमार ए	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, एजुकोण , कोल्लम
82	मारियो मनिहिरि	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेल्ली
83	शास्त्री एस वी	सहायक निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, केरल
84	चंदन प्रभाकर	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद
85	अनिल कुमार बजाड़	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, बरेली, उत्तर प्रदेश
86	मुकेश कुमार	सहायक निदेशक	क. रा. बी. निगम अस्पताल, गुरुग्राम, हरियाणा
87	सेजी आर	सहायक निदेशक	क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
88	मनोज कुमार	सहायक निदेशक	उप क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर
89	बिकास कुमार भारती	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
90	पोलीकार्प सोरेंग	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम
91	बृजेश कुमार सुमन	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
92	बाबू लाल मीणा	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी, दिल्ली
93	रेणु खरे	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, दिल्ली
94	अमित इन्दौरिया	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, गुजरात
95	विनीता कुकरेती	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

96	महेश लाल श्रीवास्तव	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी
97	प्रदीप गुणावत	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर
98	शिव शंकर सिंह	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय,वाराणसी
99	शरद कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
100	सुनीता कुमारी शर्मा	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
101	ब्रजेश कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै
102	दोमीनिक केरकेट्टा	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
103	राकेश कुमार साहनी	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
104	कमलेश कुमार माली	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क. रा. बी. निगम अस्पताल, जयपुर
105	मीनाक्षी रॉय	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क. रा. बी. निगम अस्पताल, राजाजी नगर, बेंगलूरु
106	रण सिंह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु
107	निकुंज एन.आर किस्कू	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क. रा. बी. निगम अस्पताल, रायपुर
108	सरोज कुमार यादव	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क. रा. बी. निगम अस्पताल, आदित्यपुर
109	मालविका	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
110	जय प्रकाश झा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुर
111	पापोरी चक्रवर्ती	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क. रा. बी. निगम अस्पताल, गुवाहाटी
112	मुकेश मान	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क. रा. बी. निगम अस्पताल, सनतनगर, हैदराबाद